राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– प 7 (51) परि/नियम/मु0/पार्ट–II/2003 — जयपुर, दिनांक : 08-12-09

<u>कार्यालय आदेश संख्या 33/2009</u>

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में समस्त जिला परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटर के द्वारा इन्फोरमेशन क्योस्क टेस्ट से लर्निंग लाईसेंस जारी किये जा रहे हैं, जबकि लर्निंग लाईसेंस जारी करने के लिए अधिकृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों, ड्राईविंग स्कूल के संचालकों एवं मोटर वाहन डीलरों द्वारा बिना इन्फोरमेशनः क्योस्क द्वारा जांच किये ही लर्निंग लाईसेंस जारी किये जा रहे हैं, जिससे सड़क सुरक्षा, जागरूकता एवं विभागीय –नीति के अनुरूप ड्राईविंग लाईसेंस जारी करने की राज्य सरकार की मंशा पर विपरीत प्रभाव पड रहा है।

विभागीय मंशा के अनुरूप उचित होगा कि उपरोक्त सभी प्राधिकारियों द्वारा लर्निंग लाईसेंस इन्फोरमेशन क्योस्क मशीन पर जारी किये जावें। इसके लिए उपरोक्त सभी प्राधिकारियों को 30.09.2009 तक इन्फोरमेशन क्योस्क मशीन लगाने का समय प्रदान किया गया था। इसके साथ यह भी निर्देशित किया गया था कि नये प्रकरणों में इन्फोरमेशन क्योस्क मशीन लगाने के उपरान्त ही विद्यालय/महाविघालयों के प्राचार्यों, मोटर ड्राईविंग स्कूल के संचालक एवं मोटर वाहन डीलर्स को लर्निंग लाईसेंस जारी करने के लिए अधिकृत किया जावे।

दिनांक 30.09.2009 तक जिन विद्यालय/महाविधालयों के प्राचार्यों, मोटर ड्राईविंग स्कूल के संचालकों एवं मोटर वाहन डीलर्स के द्वारा लर्निंग लाईसेंस आवेदकों के ट्रेफिक संबंधी नियमों की जानकारी की जांच हेतु इन्फोरमेशन क्योस्क मशीन नहीं लगाई गयी है, उनका लर्निंग लाईसेंस जारी करने की अधिकारिता समाप्त कर दी जाये एवं उनको इस संबंध में जारी समस्त स्टेशनरी तुरन्त कार्यालय में जमा कराई जाना सुनिश्चित करें। किन्तु कुछ मोटर ड्राईविंग स्कूलों ने इन्फोरमेशन क्योस्क ना लगवाकर केवल खानापूर्ति कर दी गयी। यहां यह जांच करना उचित होगा कि ड्राईविंग स्कूल द्वारा उच्च गुणवत्ता के इन्फोरमेशन क्योस्क जैसे कि डी.जी.एस.एन.डी. / आई.एस.ओ./आई.एस.आई. अप्रूव्ड इन्फोरमेशन क्योस्क ही लगवाये जावें।

इन्फोरमेशन क्योस्क के माध्यम से लर्निंग लाईसेंस जारी करने संबंधी उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना की जावे, अन्यथा संबंधित अधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने जिला/क्षेत्र में संचालित लाईसेंसजारीकर्ता मोटर ड्राईविंग स्कूलों का सम्पूर्ण विवरण मय फोटो उपायुक्त (नियम) को भेजने का श्रम करावे तथा यह भी जांच कर अवगत करावें कि उपरोक्त आदेश की सख्ती से पालना हो रही है या नहीं।

(निरन्जन आर्य)
परिवहन आयुक्त एवं
पदेन शासन सचिव

क्रमांक :– प 7 (51) परि/नियम/मु0/पार्ट–II/2003 जयपुर, दिनांक :

1. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ....।
2. समस्त जिला परिवहन अधिकारी.................................।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण...।
4. रक्षित पत्रावली।

8/12/2009

उप परिवहन आयुक्त (नियम)